प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

घटना का सफल अनावरण कर 1,11,400/- रुपये नगद बरामद,संलिप्त अपराधी गिरफ्तार

दिनांक- 16.7.2021

दिनांक 12.7.2021 को श्री सुरेंद्र पुत्र रघुवीर नि0 धर्मापुर थाना संदना ने अपने घर को जाते समय ग्राम नरौजी के पास तीन अज्ञात युवको उनके पास से बैग व मोबाइल लेकर जाने की सूचना दी थी। इस संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना संदना पर मु0अ0सं0 296/21 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी.सिंह द्वारा घटना के शीघ्रातिशीघ्र अनावरण व संलिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निकट पर्यवेक्षण में 04 टीमों का गठन किया गया था।

घटना के अनावरण का विवरण - पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मिश्रिख के कुशल नेतृत्व में थाना संदना पुलिस टीम द्वारा घटना के अनावरण हेतु गठित थाना संदना पुलिस टीम द्वारा तीन दिन के भीतर घटना का अनावरण करते हुए प्राप्त सीसीटीवी फुटेज एवम् अन्य साक्ष्यो के आधार पर रामगढ़ मोड़ के पास से घटना में संलिप्त अभियुक्त पवन पुत्र राम कुमार निवासी नरवीरपुर थाना संदना सीतापुर को गिरफ्तार व एक बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया है। जिनके पास से घटना से संबंधित कुल 1,11,400/- रुपये नगद, वादी की बैंक पासबुक व वादी की पत्नी का आधार कार्ड , घटना में प्रयुक्त सुजुकी हयाते मोटर साइकिल, एक अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 03 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किये गये है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि दिनांक 12.7.2021 को हमने रालामऊ बैंक में जाकर रेकी की थी जहां से पैसे निकाल कर एक व्यक्ति नरौजी जाने वाले रास्ते पर जा रहा था जिससे हम दोनो व हमारे एक अन्य साथी मनीष पुत्र राजेंद्र नि0 नरवीरपुर थाना संदना के साथ मिलकर रुपये व मोबाइल ले लिये थे व मोबाइल तोड़कर फेंक दिया था। उक्त घटना कारित करते समय प्रयुक्त मोटरसाइकिल की वास्तविक नंबर प्लेट बदलकर लगा दी थी बाद में कुछ दूर जाकर दोबारा वास्तविक नंबर प्लेट पुनः लगा दी थी ताकि हम लोग पकड़ में न आ सके। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त व बाल अपचारी उम्र 16 वर्ष उपरोक्त का चालान अंतर्गत धारा392/411/420 भादवि भादवि कर माननीय न्यायालय किया जा रहा है व शेष एक अभियुक्त मनीष की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

घटना के शीघ्र अनावरण पर थाना संदना पुलिस टीम को पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ द्वारा 25,000/-रुपये के इनाम से पुरस्कृत किया गया है।

प्रकाश में आये अपराधी-

1. अभियुक्त पवन पुत्र राम कुमार निवासी नरवीरपुर थाना संदना जनपद सीतापुर
2. मनीष पुत्र राजेंद्र नि0 नरवीरपुर थाना संदना जनपद सीतापुर

3. एक बाल अपचारी उम्र 16 वर्ष।

गिरफ्तार-

1. अभियुक्त पवन पुत्र राम कुमार निवासी नरवीरपुर थाना संदना जनपद सीतापुर
2. एक बाल अपचारी उम्र 16 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 296/21 धारा 392/411/420 भादवि थाना संदना सीतापुर

बरामदगी-

1. 1,11,400/- रुपये नगद
2. वादी की बैंक पासबुक
3. वादी की पत्नी का आधार कार्ड
4. सुजकी हयाते मोटर साइकिल नम्बर UP 34 W 5780 , बदली हुई नम्बर प्लेट UP 27 AN 4017 (मोटर साइकिल की सीट कवर के नीचे से बरामद)
5. एक अदद देशी तमंचा 12 बोर नाजायज व 03 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर नाजायज

अभियुक्त पवन पुत्र राम कुमार का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 82/19 धारा 380/454/411 भादवि थाना संदना जिला सीतापुर
2. मु0अ0सं0 296/21 धारा 392/411/420 भादवि थाना संदना सीतापुर
3. मु0अ0सं0 299/21 धारा 25(1-B) A ACT थाना संदना सीतापुर

पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष श्री संजीव कुमार
2. वरिष्ठ उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार सिंह
3. उ0नि0 श्री शिव सिंह यादव
4. का0 विनीत सिंह
5. का0 सोहन सिंह
6. का0 सन्त कुमार

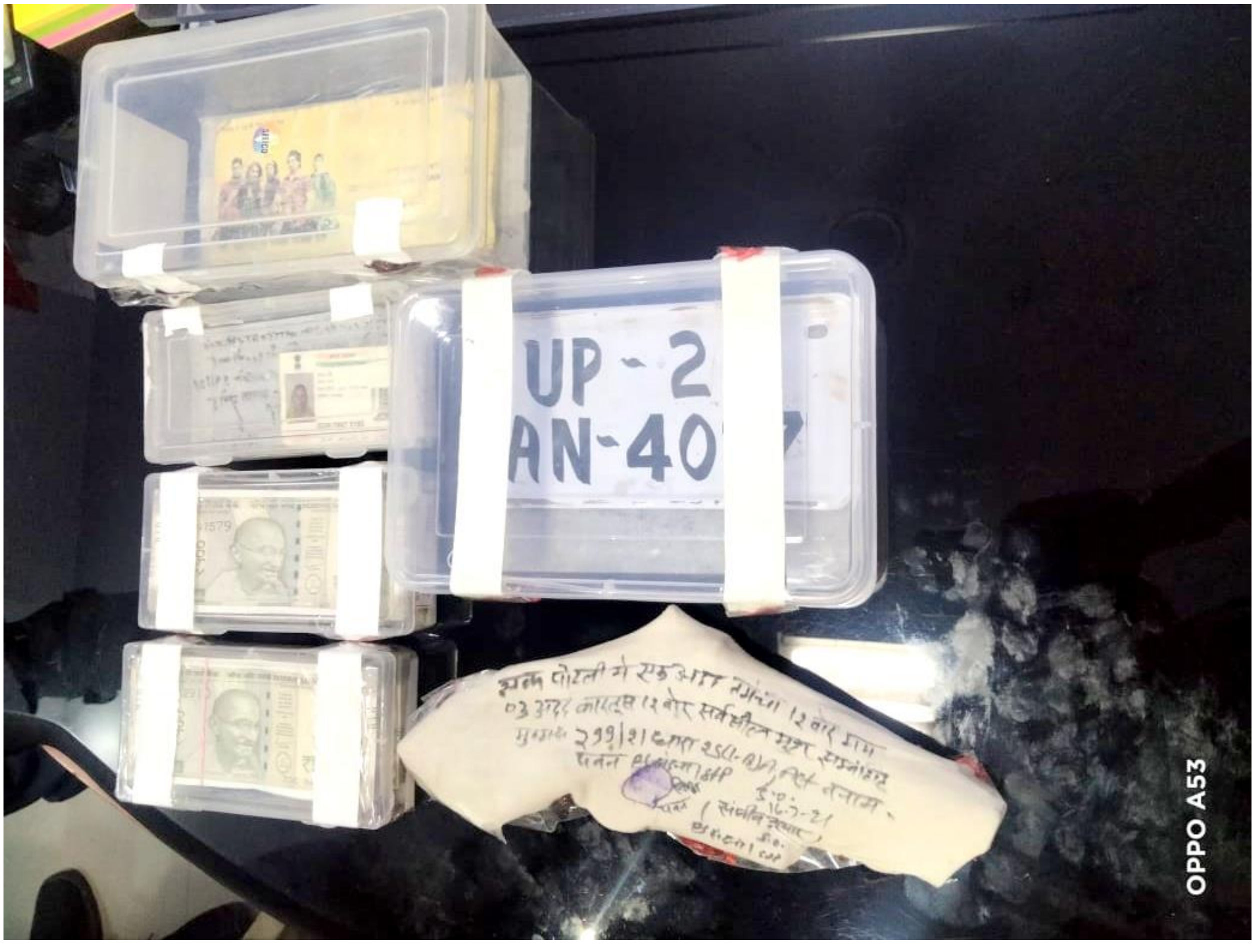
UP - 2
AN-40
OPPO A53